

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

संचिका सं०-14/डी०एल०ए०/क्ष०स्था०/सेवा सत्यापन-34/2024-1600(14)/रा०, दि०...०७-०९-२६

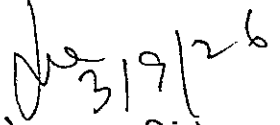
II कार्यालय आदेश II

श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, लिपिक (सेवानिवृत्त) को उनके आवेदन के आधार पर "बिहार सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता से विमुक्ति नियमावली, 2018" के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय परीक्षा उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान की जाती है।

2- यह आदेश तत्काल प्रवृत्त होगा।

3- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

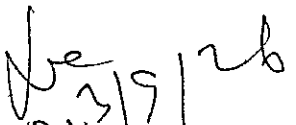
4- इस आदेश में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा विसंगति पाये जाने पर तदनुसार इसे संशोधित/निरस्त किया जा सकेगा।


(कमलेश कुमार सिंह)
निदेशक,
भू-अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक-...1600.....

पटना, दिनांक:- ०७-०९-२६

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

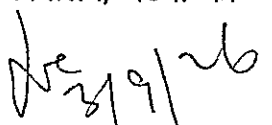

निदेशक,
भू-अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक-...1600.....

पटना, दिनांक:- ०७-०९-२६

प्रतिलिपि:-जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

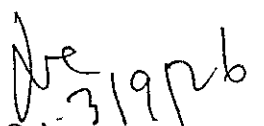
2) श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, लिपिक (सेवानिवृत्त), जिला भू-अर्जन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक,
भू-अर्जन, बिहार।

ज्ञापांक-...1600.....

पटना, दिनांक:- ०७-०९-२६

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इस आदेश की प्रति संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


निदेशक,
भू-अर्जन, बिहार।